प्रेस नोट दिनाँक-24.02.2023

अपहरण एवं हत्या की घटना का सफल अनावरण

अपहरण कर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त व सह अभियुक्ता को गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा अपहरण एवं हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अपहरण कर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त व सह अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

निकिल पटेल पुत्र लखपत सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट दिनाँक-03.01.2023 को घर से लापता हुआ था जिसके सम्बन्ध में दिनाँक-08.02.2023 को कोतवाली कर्वी में गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी तथा दिनाँक 21.02.2023 को थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 104/2023 धारा 364 भादवि0 विरूद्ध 1. कमल सिंह पुत्र धर्मजीत 2. शनि पुत्र पप्पू डाक्टर निवासीगण बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। कोतवाली कर्वी पुलिस के सघन प्रयास से अभियुक्त कृपाशंकर उपाध्याय उर्फ कमल पण्डित पुत्र धरमजीत उपाध्याय की निशादेही पर नहर के किनारे बांस कोठी के नीचे बना गड्ढा वहद ग्राम बरवारा से निकिल पटेल का शव बरामद किया गया। अभियुक्त कृपाशंकर उपाध्याय उर्फ कमल पण्डित ने पूछताछ पर बताया कि गांव की सीमा वर्मा से पूर्व में ही निकिल पटेल के नाजायज सम्बन्ध थे बाद में सीमा वर्मा से मेरा भी नाजायज सम्बन्ध हो गया। दिनाँक-03.01.2023 की रात्रि करीब 11 बजे जब सीमा वर्मा गांव के बाहर मानसिहं के खेत में थी तब वहां पर निकिल पटेल भी पहुंच गया इसके बाद सीमा वर्मा ने फोन कर मुझे भी वहां बुला लिया। निकिल पटेल काफी नशे में था औऱ हम लोगों को बदनाम करने की धमकी देने लगा तब मैं व सीमा वर्मा ने मिलकर निकिल पटेल की गर्दन में गमछे का फंदा डालकर दोनों तरफ से कसकर उसकी मृत्यु कारित कर दी थी। बाद में मैं शव को अपने कंधे में लादकर बरवारा नहर के अन्दर झाड़ियों के बीच डालकर चला गया था। लाश को छिपाने हेतु अगले दिन 04.01.2023 को रात्रि करीब 08 बजे मैनें नहर के किनारे बांस की कोठी के नीचे फावड़ा से गहरा गड्ढ़ा खोदा और दिनाँक-04/05.01.2023 की रात्रि करीब 01 बजे मैं व सीमा वर्मा शव को वहां से उठाकर बरवारा नहर के किनारे बांस कोठी के नीचे खोदे गये गड्ढ़े में उसके शव को लिटाकर ऊपर से 01 बोरी नमक डालकर मिट्टी से ढ़क दिया था। इस दौरान निकिल पटेल का मोबाइल जो मेरी शर्ट की जेब में था, मिट्टी दबाते समय वहीं गिर गया था जो अंधेरा होने के कारण मैं खोज नही पाया। दिनाँक-23.01.2023 को अभियुक्त कमलाकांत उपाध्याय उर्फ कमल पण्डित की निशादेही पर गड्ढ़ा से मिट्टी हटाते समय मृतक निकिल का मोबाइल ओप्पो रंग काला भी बरामद हुआ। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त सह अभियुक्ता कु0 सीमा वर्मा पुत्री बालकेश वर्मा निवासी बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को उसके घर से जुर्म से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया। मु0अ0सं0 104/2023 धारा 364 भादवि0 में धारा 302,201 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरणः-

1. कमलाकांत उपाध्याय उर्फ कमल पण्डित पुत्र धर्मजीत उपाध्याय निवासी बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

2. सीमा वर्मा पुत्र बालकेश वर्मा निवासी बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. निरीक्षक अपराध कोतवाली कर्वी श्री प्रभूनाथ यादव
3. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
4. उ0नि0 श्री सदानन्द सिंह
5. उ0नि0 श्री मुन्नीलाल
6. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह
7. मुख्य आरक्षी फरजन्द अली
8. आरक्षी वीरपाल
9. आरक्षी दीपांकर सिंह
10. आरक्षी रोशन सिंह
11. आरक्षी रोहित सिंह
12. आरक्षी बहोरन सिंह
13. आरक्षी गौरव यादव
14. आरक्षी शिवम राजपूत
15. आरक्षी धीरेन्द्र किशोर
16. महिला आरक्षी स्वाती
17. महिला आरक्षी प्रीति दीक्षित
18. महिला आरक्षी रचना यादव
19. महिला आरक्षी पूजा सिंह

(2). आज दिनांक 24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनाँक-24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र

के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लखन पुत्र रामनिहोरे निवासी बसिंघा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शऱाब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव
3. आरक्षी राजमंगल बिंद

(5). पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस लाइन में नियुक्त उ0नि0 श्री राकेश मौर्या को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज दिनाँक-24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा पुलिस लाइन में उ0नि0 राकेश मौर्या को मेडल लगाकर अलंकृत किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राजकमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 01 चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2020 धारा 302/34,201 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तगण 1. मल्ही देवी पत्नी स्व0 मोतीलाल, शोभालाल पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासीगण छिवली थाना मऊ जनपद चित्रकूट व 3. कुसुम कली उर्फ भुजंगी पत्नी राजाराम उर्फ राजा निवासी स्वाती का पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक-07.01.2020 को मृतिका ललता देवी का अभियुक्ता सास मल्ही देवी से बटवारे को लेकर सास बहू में काफी झगड़ा हो गया था उसी को लेकर ससुरालीजन ने उसकी बहन के साथ मारपीट कर अभियुक्तों ने दिनाँक-

07/08.01.2020 की रात्रि में घर मे जान से मारकर मृतिका के शव को गांव से बाहर अपने कुएं में लटका दिया था। जिसके सम्बन्ध में मृतिका के भाई की तहरीर पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 06/2020 धारा 302/34,201 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 677/2018 धारा 323,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार उर्फ मुुस्सू पुत्र रामप्रसाद निवासी चांदी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा

2. आरक्षी शिवम तिवारी